एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में दिनांक 21 मई, 2019 के पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 28वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की सत्ताईसवीं बैठक एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में दिनांक 21 मई, 2019 के पूर्वाह्न 10:30 बजे सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। भागीदारों की सूची **अनुबंध-1** पर संलग्न है।

अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने प्राधिकरण के सदस्यों और उद्योग के विशेष आमंत्रितियों का बैठक में स्वागत किया। उन्होंने एफ.एस.एस.ए.आई में नव-नियुक्त अधिकारियों का परिचय कराया।

मद सं0 I: दिनांक 04.02.2019 को आयोजित 27वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सदस्यों को परिचालित 27वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसका अंगीकरण किया गया।

मद सं0 II : 27वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट निम्नलिखित अवलोकनों के साथ नोट की गई।

क) खाद्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को लंबित अधिसूचनाओं का अनुमोदन जल्दी करने का अनुरोध किया।

ख) विशेष आमंत्रिती ने धान्य और धान्य उत्पादों संबंधी मद सं0 27.1(I)(iii) के संबंध में पूछा कि क्या उद्योग को आर्द्रता और एफ्लाटोक्सिन के मध्य संबंध का डैटा प्रस्तुत करना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सुझाव दिया कि डैटा जून माह के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत कर दिया जाए।

ग) मद सं0 27.1 (च) के अंतर्गत विशेष आमंत्रिती ने फोंट साइज संबंधी लेबलिंग अपेक्षाओं के क्रियान्वयन के व्यावहारिक प्रभावों का मुद्दा उठाया और प्राधिकरण को इन अपेक्षाओं के क्रियान्वयन के समय को बढ़ाने का अनुरोध किया, क्योंकि यह मामला अभी लेबलिंग और दावे/विज्ञापन वैज्ञानिक पैनल के समक्ष विचाराधीन है। यह स्पष्ट किया गया कि उक्त पैनल की बैठक दिनांक 11 जून, 2019 के लिए तय है और इस संबंध में आगे की कार्रवाई उसकी सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

मद सं0 III. मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

प्राधिकरण ने बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट **(अनुबंध-2)** को नोट किया।

आगे, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने नई समेकित वेबसाइट लांच की।

अनुमोदनार्थ कार्यसूची

28.1 खाद्य मानक/विनियम

क. अंतिम अधिसूचना के लिए प्रस्तावित संशोधन

(I) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम

(i) 'विनियम 2.2 : वसाएँ, तेल और वसा पायस' में संशोधन

(क) बेलियर परीक्षण का विलोपन

(ख) परिशोधित वनस्पति तेल

(ग) सूरजमुखी के बीज का तेल और सूरजमुखी के बीज का तेल - उच्च ओलीक एसिड

(घ) सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल

(ङ) ट्रांस-फैट कम करना

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ii) 'विनियम 2.3 : फल और सब्जी उत्पाद' में संशोधन

(क) प्रशीतित बीन्ज

(ख) प्रशीतित बंद गोभी

(ग) प्रशीतित मटर

(घ) प्रशीतित पालक

(ङ) डंठलयुक्त चेरी

(च) प्रसंस्कृत फल रस

(छ) प्रसंस्कृत सब्जी रस

(ज) काजू

(झ) सिंघाड़े का आटा

(ञ) रंजन खाद्य

क) प्रशीतित बीन्ज संबंधी मद (क) के संबंध में विशेष आमंत्रिती ने प्रत्येक दोष के लिए प्वाइंट सिस्टम अपनाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया

और कार्यसूची के पृष्ठ 11 पर दी गई सारणी का कॉलम 3 हटाने का अनुरोध किया। यह स्पष्ट किया गया कि यह कोडेक्स के अनुसार तथा भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है और अत: उपभोक्ता के हित में इस उपबंध को नहीं हटाया जा सकता। विस्तृत चर्चा के बाद उपर्युक्त मद सं0 (क) से (घ) के बारे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की राय लेने का निर्णय लिया गया। उक्त मंत्रालय के प्रतिनिधि से इस मामले को प्राथमिकता से लेने का अनुरोध किया गया। प्राधिकरण ने अध्यक्ष को इसकी तरफ से अंतिम निर्णय लेने और उपर्युक्त मद (क) से (घ) का अनुमोदन देने के लिए प्राधिकृत किया।

ख) प्रसंस्कृत फल रस संबंधी मद (च) के संबंध में निम्नलिखित संशोधन अनुमोदित किए गए:

(i) कार्यसूची के पृष्ठ 17 पर दिए गए उप-विनियम 2.3.6 के खंड (ख) से ''अथवा ताजा'' शब्दों का विलोपन;

(ii) कार्यसूची के पृष्ठ 18 पर कॉलम (5) में ''नींबू'' फल के सामने दी गई अम्लता को ''6.0 (न्यूनतम) से 3.5 (न्यूनतम)'' करना;

(iii) कार्यसूची के पृष्ठ 18 पर दी गई सारणी के कॉलम (2) में ''मंदारिन/टैंगरिन'' शब्द के बाद ''/संतरा'' शब्द जोड़ना।

ग) काजू संबंधी मद (ज) के संबंध में विशेष आमंत्रिती ने कहा कि कटे/टुकड़ों के 'मुक्त वसीय अम्ल' मानदंड के सामने निर्धारित सीमा व्यावहारिक रूप से लाई नहीं जा सकती और इस सीमा का बढ़ाने का सुझाव दिया। यह स्पष्ट किया गया कि 2% सीमा वैज्ञानिक पैनल द्वारा जोखिम आकलन के आधार पर तय की गई है, हालांकि यू.एन.एफ.सी.ई ने यह सीमा 1% अधिकतम तय की है।

आगे, अध्यक्ष ने कहा कि चूँकि 60% से अधिक काजू अन्य देशों से मंगाए जाते हैं, घटिया काजुओं का आयात न होने देने के लिए इस मानदंड को रखना आवश्यक है। अत: प्राधिकरण सीमा में संशोधन पर सहमत नहीं हुई।

इन अवलोकनों तथा पैरा ऊपर पैरा (ख) के संशोधनों के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(iii) **'विनियम 2.4 : धान्य और धान्य उत्पाद' में संशोधन**

(क) गेहूँ का चोकर और गैर-किण्वित धान्य उत्पाद

(ख) बच्चों के लिए फॉर्मूला वाले अनुपूरक

'गेहूँ का चोकर और गैर-किण्वित सोयाबीन उत्पाद' मद के संबंध में सचिवालय ने प्राधिकरण को सूचित किया कि प्रस्तावित अंतिम अधिसूचना में ''टोफू'' का विवरण गलती से छूट गया है, जो वही है जो मसौदा अधिसूचना में दिया गया है। आगे, विशेष आमंत्रिती ने बाजार में गेहूँ के चोकर की मौजूदा उपलब्धता के अनुसार अम्ल मान की सीमा 6 से बढ़ाकर 24 की जाए। यह स्पष्ट किया गया कि इतने अधिक अम्ल मान पर उत्पाद खाने लायक नहीं रहेगा। आगे, यह सुझाव दिया गया कि क्यूए प्रभाग गेहूँ के बाजार से लिए गए नमने के आधार पर डैटा निकालेगा।

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(iv) 'विनियम 2.5 : मांस और मांस उत्पाद' में संशोधन

(क) 2.5.1 की परिभाषाएँ

(ख) पशु केसिंगें

(ग) प्रशीतित अंडा उत्पाद

(घ) अंडा पाउडर

(ङ) द्रव अंडा उत्पाद

(च) अंडों का अचार

(छ) डिब्बाबंद/रिटोर्ट पाउच मीट उत्पाद

(ज) कटे/पुनर्रूपित मांस उत्पाद

(झ) संसाधित मांस/मांस का अचार और/अथवा धूमित मांस उत्पाद

(ञ) सूखे/निर्जल मांस उत्पाद

(ट) पके/अधपके मांस उत्पाद

(ठ) खरगोश का ताजा/शीतित/प्रशीतित मांस

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(v) 'विनियम 2.6 : मछली और मत्स्य उत्पाद' में संशोधन

(क) पाश्च्युरीकृत मछली सॉसेज

(ख) क्रैब मांस

(ग) मछली प्रसंस्करण अपशिष्ट

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(vi) 'विनियम 2.10 : बीवरेज (डेयरी और फल और सब्जी-आधारित को छोड़कर)

(क) विकैफीनीकृत कॉफी

(ख) पैकेजबंद पेय जल

पैकेजबंद पेय जल के संबंध में विशेष आमंत्रिती ने कैल्शियम और मैग्नेशियम के संबंध में कोर्बोनेटिड, कैफीनीकृत और अन्य उत्पादों में प्रयुक्त जल पैकेजबंद पेय जल के मानकों के अनुरूप होने का मुद्दा उठाया, जिनमें लवण, जैसे कैल्शियम और मैग्नेशियम अंतिम उत्पाद के स्वाद को प्रभावित कर सकते हैं। इस संबंध में विचार के लिए अलग सुझाव देने को कहा गया।

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(vii) 'अध्याय 3 : खाद्य में योजित पदार्थ' में संशोधन

(क) बेकिंग पाउडर

विशेष आमंत्रिती ने पूरे खंड 6 को निकालने का अनुरोध किया, जिसमें विहित है कि बेकिंग पाउडर पर ''उत्पादन की तिथि के एक वर्ष के अंदर प्रयोग करें'' की जगह 'से पहले' लेबल लगाया जाए, क्योंकि कंपनी ने उसके जीवन काल का अध्ययन पहले ही किया हुआ होता है और वह हर कंपनी के उत्पाद का अलग-अलग होता है। प्राधिकरण ने इस पर सहमति व्यक्त की।

इस संशोधन के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(II) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम

(क) धातु संदूषकों, एफ्लाटोक्सिन और कवकविष की सीमाएँ

विशेष आमंत्रिती के सुझाव पर प्राधिकरण कार्यसूची के पृष्ठ 61 पर दी गई सारणी के दोनों स्थानों पर ''मसाले'' शब्द के बाद ''/मसाला मिक्स'' शब्द रखने पर सहमत हुई।

इस संशोधन के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(III) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम

(क) वेंडिंग मशीनों से कृत्रिम मीठाकारकों वाले बीवरेजों की बिक्री

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(IV) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम

(क) खेल अनुपूरक उत्पाद

सचिवालय ने प्राधिकरण को सूसचित किया कि कार्यसूची का उपर्युक्त मद मसौदा अधिसूचना के लिए है।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ख. मसौदा अधिसूचना के लिए प्रस्तावित संशोधन

(I) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम

(i) 'विनियम 2.2 : वसाएँ, तेल और वसा पायस' में संशोधन

(क) आयातित निष्कर्षित तेलों को परिशोधन से छूट

(ख) अंगूर के बीज का तेल

(ग) इंटरएस्टरीकृत वनस्पति वसा और टेबल मार्जरीन में तिल के तेल का योजन और वनस्पति, इंटरएस्टरीकृत वनस्पति तेल/वसा, बेकरी शोर्टनिंग, बेकरी और औद्योगिक मार्गरीन, टेबल मार्जरीन और वसा स्प्रैड के मामले में 1 cm सेल में बोदोईं परीक्षण का न्यूनतम 1.0 लाल यूनिट तक पुनरीक्षण करना

(घ) भौतिक रूप से परिशोधित चावल के भूसे के तेल के संघटक वाले वनस्पति में असाबुनीकरणीय पदार्थ की सीमा

(ङ) खाद्य उत्पादों में ट्रांस-फैट की सीमा

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ii) 'विनियम 2.3 : फल और सब्जी उत्पाद' में संशोधन

(क) सोयाबीन सॉस

(ख) अखरोट की गिरियाँ

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(iii) 'विनियम 2.4 : धान्य और धान्य उत्पाद' में संशोधन

(क) ओट उत्पाद

(ख) सोया दही और सोया योगर्ट

(ग) अरहर का पाउडर

(घ) बेसन

(ङ) मकई मांड

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(iv) 'विनियम 2.7 : मिठाइयाँ और मिष्टान्न

(क) आइस लोलीज अथवा खाद्य बर्फ

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(v) 'विनियम 2.8 : शहद सहित मीठाकारक' में संशोधन

(क) शहद

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(vi) 'विनियम 2.9 : लवण, मसाले, कंडिमेंट और सम्बद्ध उत्पाद' में संशोधन

(क) काली मिर्च

(ख) सूखा तेजपात

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(vii) 'विनियम 2.10 : बीवरेज (डेयरी और फल व सब्जी-आधारित को छोड़कर)

(क) ठोस इन्सटैंट टी

(ख) कैफीनीकृत बीवरेज

(ग) गैर-कार्बोनेटिड जल-आधारित बीवरेज (गैर-एल्कोहलीय) और पैकेजबंद पेय जल

(घ) प्राकृतिक खनिज जल में पेस्टीसाइड अवशिष्ट

(ङ) प्राकृतिक खनिज जल

प्राकृतिक खनिज जल संबंधी मद (ङ) को वापस ले लिया गया।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(viii) 'अध्याय 3 : खाद्य में योजित पदार्थ और परिशिष्ट क' में संशोधन

(क) खाद्य श्रेणी 5.3 'च्युइंगगम' से सल्फर डाइऑक्साइड (आईएनएस 220) की सीमा का विलोपन

(ख) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 द्वारा खाद्य सहयोज्य के रूप में अनुमत मीठाकारकों की पुनरीक्षा

'मद (ख) : खाद्य सहयोज्य के रूप में अनुमत मीठाकारकों की पुनरीक्षा' के संबंध में विशेष आमंत्रिती ने प्राधिकरण को सम्मति देने के लिए समय देने का अनुरोध किया। यह सुझाव दिया गया कि सम्मतियाँ मसौदा अधिसूचना चरण पर प्रस्तुत की जा सकती हैं।

(II) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम

(क) कवकविष की सीमाएँ

(ख) पेस्टीसाइडों की एमआरएल तय करना

(ग) शहद में प्रतिजैविक अवशिष्टों के मानकों में सहयता सीमाएँ

(घ) प्रतिजैविकों और पशु औषधों संबंधी एफ.एस.एस.ए.आई विनियमी की पुनरीक्षा

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(III) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(IV) खाद्य सुरक्षा और मानक (एल्कोहलीय बीवरेज) विनियम

- कतिपय खंडों में संशोधन

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(V) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम

(क) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के उप-विनियम 4(7) में विहित फोंट साइज के अनुपालन के संबंध में

विशेष आमंत्रिती ने विज्ञापन और दावों संबंधी मूल विनियम, जो 01.07.2019 से लागू होगा, के क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया। यह सुझाव दिया गया कि उद्योग संघ इस मामले को लेबलिंग पैनल की अगली बैठक के समय प्रस्तुत करे।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ग. विविध

(1) वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों का पुनर्गठन

प्राधिकरण ने प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया और अध्यक्ष महोदय को प्राधिकरण की तरफ से निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया।

(2) एफ.एस.एस.ए.आई खाद्य विश्लेषण पद्धति मैनुअल - एल्कोहलीय बीवरेज

प्राधिकरण ने प्रस्तुत मैनुअल का अनुमोदन किया।

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के तहत जारी निर्देश - अभिपुष्टि के लिए

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

(4) बोर्निया टैलो और शिया बटर तथा चॉकलेट में उनके उपयोग के मसौदा मानकों की पुनरीक्षा

प्राधिकरण ने चॉकलेट में शिया बटर और बोर्नियो टैलो के 5% तक इस्तेमाल और उनके गुणता मानकों पर पहले दिए गए अनुमोदन की पुनरीक्षा की। यह नोट किया गया कि सरकार ने दोनों प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किया। चूँकि इन दो तेलों के संबंध में सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं था, प्राधिकरण ने अपने पिछले निर्णय को दोहराया तथा मामले पर पुन: विचार के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजने का निर्णय लिया।

घ. खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ङ. खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य का संग्रहण और वितरण) विनियम, 2019 के संबंध में प्रस्तावित अंतिम विनियम

विशेष आमंत्रिती ने खाद्य दान करने वाले खाद्य कारोबारी की जिम्मेदारियों संबंधी मुद्दा उठाया। यह स्पष्ट किया गया कि इस मुद्दे पर पहले ही विस्तार से चर्चा कर ली गई है। इसके अतिरिक्त खाद्य कारोबारी की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है। आगे, यह भी सूचित किया गया कि इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएँगे।

इन अवलोकनों के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

च. एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जारी मानकों/विनियमों और निर्देशों का क्रियान्वयन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की पुष्टि की।

छ. 'बकरी/भेड़ का दूध, दूध और दूध के पाउडर में सोडियम की कुल मात्रा और दूध से बने कुछ नए उत्पाद यानी मध्यम वसा युक्त छेना/पनीर, छाछ पनीर और नमकीन पनीर के मानकों के संशोधन' के संबंध में अंतिम अधिसूचना के मसौदे का अनुमोदन

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ज. भैंस के दूध के एकरूप मानकों के संबंध में दूध और दुग्ध-उत्पादों के मानकों के मसौदे का अनुमोदन

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

झ. एफ.एस.एस.आर. के अंतर्गत 'फ्रोजन डेसर्ट' की परिभाषा में संशोधन करने संबंधी निर्णय की अभिपुष्टि

प्राधिकरण ने दूध और दुगध-उत्पादों के विषय में वैज्ञानिक पैनल की इस राय, जिसका समर्थन वैज्ञानिक समिति ने भी किया, पर टिप्पणी की कि फ्रोजन डेसर्ट की परिभाषा में 'आइन-क्रीम' शब्द नहीं होना चाहिए और फ्रोजन डेसर्ट, जो ऐसा उत्पाद है जिसमें दूध के फैट और प्रोटीन के स्थान पर क्रमानुसार सब्जियों का फैट और प्रोटीन डाला जाता है, उसे 'डेयरी एनालॉग' के उन मानकों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जो नियमन की प्रक्रिया में हैं। प्राधिकरण ने पैनल की बात को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि यह विषय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ता की जानकारी से जुड़ा है और

खाद्य प्राधिकरण इस संबंध में उचित निर्णय ले सकती है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने बहु-हितधारकों का एक समूह बनाने का निर्णय किया जिसमें संबद्ध वैज्ञानिक पैनलों के सदस्य, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि और उद्योग संघ शामिल होंगे, जो विषय की जाँच करके प्राधिकरण के समक्ष सिफारिश पेश करेंगे।

ञ. भारतीय मानक ब्यूरो और एग्मार्क अनिवार्य प्रमाणन के संशोधन के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2018 के मसौदे की अभिपुष्टि

हल्की काली मिर्च पर एग्मार्क मुहर के संबंध में खाद्य और मानक (लेबलिंग और पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2018 के मसौदे की अभिपुष्टि।

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की पुष्टि की। अध्यक्ष ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आयातित खाद्य पदार्थों के प्रमाणन की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में प्रस्ताव व्यापक अनुमोदन नहीं है और प्राधिकरण प्रत्येक मामले के आधार पर निश्चय करेगी, जो द्विपक्षीय करारों और/या 'समतुल्यता' के सिद्धांत जो डबलू.टी.ओ.-एस.पी.एस./टी.बी.टी करार में उल्लिखित है, के अनुसार होगा।

28.2 खाद्य परीक्षण और सर्वेक्षण

(क) एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा निम्नलिखित खाद्य प्रयोगशालाओं की अधिसूचना की अभिपुष्टि-

- **खंड 43(1) के अंतर्गत खाद्य प्रयोगशालाओं की सूची**
- **खंड 43(2) के अंतर्गत परामर्श प्रयोगशालाओं की सूची**

(ख) समझौता ज्ञापन

- **एम/एस मर्क लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड**
- **यूनाइटिड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेन्शन (यू.एस.पी.), यू.एस.ए. के साथ हस्ताक्षरित**

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

28.3 खाद्य सुरक्षा अनुपालन

(क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2011

प्राधिकरण की बैठक की तारीख से 7 दिनों के अंतर्गत विशेष आमंत्रितियों को अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद खाद्य प्राधिकरण इस

प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भेजेगी। इन विनियमों को चरणबद्ध तरीके से तुरंत क्रियान्वित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिससे इन्हें आई.टी. प्लेटफॉर्म के साथ सुमेलित किया जा सके और 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह विशेष रूप से कहा गया था कि आई.टी.प्लेटफॉर्म और प्रस्तावित विनियमों के समकालिक क्रियान्वयन से प्राधिकरण को खाद्य कारोबारियों से फीडबैक प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे विनियमों के निर्धारण से पूर्व उनमें सुधार किया जा सकेगा।

इस प्रश्न के संदर्भ में कि "विकिरण सुविधा" के लिए किसी स्पष्ट कारोबार के प्रकार (के.ओ.बी.) की श्रेणी निर्धारित नहीं की गई है, यह स्पष्ट किया गया था कि यह अन्य के.ओ.बी. के अंतर्गत आएगी और एक अलग उप-श्रेणी बनाई जाएगी जिसके अनुरूप अनुसूची-4 संशोधित की जाएगी।

प्राधिकरण ने अधिसूचना के प्रस्तावित मसौदे को सैद्धांतिक तौर पर अनुमोदित कर दिया और प्राधिकरण की ओर से इस संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत किया।

(ख) अनुमोदन हेतु सी.ए.सी. सदस्यों का नामांकन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(ग) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 के अंतर्गत लेखा-परीक्षा अभिकरणों को मान्यता

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(घ) केन्द्रीय सलाहकार समिति की 24 वीं बैठक के कार्यवृत्त का अंगीकरण

प्राधिकरण ने सूचना के लिए परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

(ङ) सामान्य सेवा केंद्र-विशेष प्रयोजन हेतु वाहन (सी.एस.सी.-एस.पी.वी.) के माध्यम से फूड बिजनेस ऑपरेटरों का रजिस्ट्रीकरण

प्राधिकरण ने सूचना के लिए परिचालित कार्यसूची की मदों को नोट किया।

(च) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत जारी निर्देश

प्राधिकरण ने उपरिलिखित कार्यसूची की मदों पर विचार कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

28.4 शासन और प्रशासन

प्राधिकरण ने सूचना के लिए परिचालित कार्यसूची की मदों को नोट कर की गई कार्रवाई की अभिपुष्टि की।

28.5 खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण

खाद्य कारोबारों के लिए फोस्टैक को अनिवार्य बनाना

प्राधिकरण ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अन्य कोई मद

पूरक कार्यसूची मद संख्या 28.4(1)

खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्यकर आहार) विनियम, 2019 पर विनियम का मसौदा

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

पूरक कार्यसूची मद संख्या 27.4(2)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का अनंतिम वार्षिक लेखा

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार किया और वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनंतिम वार्षिक लेखा का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया और अंतिम निर्णय लेने के बाद और लेखा परीक्षा के लिए सी.ए.जी. को अग्रेषित करने से पहले लेखा का अनुमोदन करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

बैठक का समापन सभी भागीदारों को धन्यवाद सहित हुआ और सी.ई.ओ. ने अध्यक्ष (एफ.एस.एस.ए.आई.) द्वारा जिमखाने के उद्घाटन हेतु बोर्ड को आमंत्रित किया।

हस्ता/- **हस्ता/-**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी **अध्यक्ष**

अनुबंध-1

भागीदारों की सूची

क. प्राधिकरण के सदस्यः

1. सुश्री रीता तेवतिया, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री पवन अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई, सदस्य सचिव;
3. सुश्री रीता वशिष्ठ, अतिरिक्त सचिव विधायी, विधि और न्याय मंत्रालय;
4. श्री आशीष गवई, उप सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
5. श्री संतोष सारंगी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय;
6. डॉ. बृजेश त्रिपाठी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय;
7. श्री जितेंद्र कुमार, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय;

ख. विशेष आमंत्रिति

1. सुश्री पर्णा दासगुप्ता, फिक्की
2. सुश्री मीतू कपूर, भारतीय उद्योग संघ
3. सुश्री श्रेया पांडेय, ऑल इंडिया फूड प्रॉसेसर्स एसोसिएशन

ग. एफ.एस.एस.ए.आई. के अधिकारी

1. सुश्री माधवी दास, ई.डी.
2. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)
3. श्री एन. भास्कर, सलाहकार (क्यू.ए.)
4. सुश्री सुनीति टोटेजा, निदेशक (आयात/एफ.एफ.आर.सी.)
5. श्री अमित शर्मा, निदेशक
6. सुश्री इनोशी शर्मा, निदेशक
7. श्री आर.के. मित्तल, प्रमुख (आर.सी.डी.)
8. श्री राज सिंह, प्रमुख (जी.ए.)
9. श्री ए.के.चाणन, प्रमुख (आई.टी.)
10. डॉ. ए.के. शर्मा, परामर्शदाता
11. डॉ. एस.सी. खुराना, परामर्शदाता
12. डॉ. ए.सी. मिश्रा, संयुक्त निदेशक (मानक)
13. श्री पी. कार्तिकेयन, उप निदेशक (कोडेक्स/विनियम)
14. सुश्री वर्षा गुप्ता, वैज्ञानिक IV (3) (मानक)
15. डॉ. कविता रामसामी, वैज्ञानिक IV (3) (मानक)

16. सुश्री कृति चुग, ए.डी. (मानक)
17. सुश्री रत्ना श्रीवास्तव, वैज्ञानिक IV(I) (विनियम)
18. डॉ. शेल्वी अग्रवाल, टी.ओ. (मानक)

अनुबंध-2

खाद्य प्राधिकरण की 28वीं बैठक (21.05.2019)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट

1. **खाद्य मानक/विनियम**

4 फरवरी, 2019 को हुई प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों और मानक-निर्धारण का कार्य

इस अवधि के दौरान वैज्ञानिक पैनलों की कई बैठकें हुईं, जब खाद्य सुरक्षा के मामलों पर मानक-निर्धारण हेतु मसौदे बनाने और सुझाव देने में विशेष योगदान दिया गया।

1.1 **वैज्ञानिक समिति की बैठक (1):** वैज्ञानिक समिति की 32वीं बैठक दिनांक 28.03.2019 को हुई।

1.2 **वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें(21): अवधि के दौरान** खाद्य श्रंखला में प्रतिजैविक अवशिष्ट और संदूषक पैनल के अलावा निम्नलिखित पैनलों की बैठकें हुईं।

(i) **जैविक खतरे वैज्ञानिक पैनलः** पैनल की 26वीं और 27वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 15.02.2019 और 25.04.2019 को हुईं।

(ii) **अनाज, दालें और फलियाँ और संबंधित उत्पाद (बेकरी सहित) वैज्ञानिक पैनल : पैनल की** 20वीं बैठक दिनांक 05.04.2019 को हुई।

(iii) **मछली और मत्स्य उत्पाद वैज्ञानिक पैनलः पैनल की 17वीं बैठक दिनांक** 26.04.2019 को हुई।

(iv) **खाद्य सहयोज्य, सुवासकारी पदार्थ, खाद्य संपर्क सामग्री और प्रसंस्करण सहायक सामग्री वैज्ञानिक पैनलः** पैनल की 39वीं और 40वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 14.02.2019 और 26.04.2019 को हुईं।

(v) **फल व सब्जियाँ और उनके उत्पाद (सूखे फलों और गिरियों सहित) वैज्ञानिक पैनलः** पैनल की 16वीं बैठक दिनांक 11.03.2019 को हुई।

(vi) **प्रयोजनमूलक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल्स, आहारिक उत्पाद और अन्य सदृश उत्पाद वैज्ञानिक पैनलः** पैनल की 42वीं बैठक दिनांक 18-19.03.2019 को हुई।

(vii) **जीन-परिवर्तित जीवाणु और खाद्य वैज्ञानिक पैनलः** पैनल की 17वीं बैठक दिनांक 06.05.2019 को हुई।

(viii) **लेबलिंग और दावे/विज्ञापन वैज्ञानिक पैनलः पैनल की** 28वीं बैठक दिनांक 30.04.2019 को हुई।

(ix) **दूध और दुग्ध उत्पाद वैज्ञानिक पैनलः पैनल की 11वीं बैठक दिनांक** 16.04.2019 को हुई।

(x) **कुक्कुट सहित मांस और मांस उत्पाद वैज्ञानिक पैनलः पैनल की 11वीं बैठक दिनांक** 15.03.2019 को हुई।

(xi) **प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति वैज्ञानिक पैनलः पैनल की 25वीं बैठक दिनांक** 21.05.2019 को हुई।

(xii) **तेल और वसा वैज्ञानिक पैनलः पैनल की 15वीं बैठक दिनांक** 08.03.2019 को हुई।

(xiii) **कीटनाशक अवशिष्ट वैज्ञानिक पैनलः पैनल की** 55वीं और 56वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 27-28.2019 और 2-3.05.2019 को हुईं।

(xiv) **जल (सुवासित जल सहित) और बीवरेज (एल्कोहलीय और गैर-एल्कोहलीय) वैज्ञानिक पैनलः पैनल की 15वीं बैठक दिनांक** 18.03.2019 को हुई।

(xv) **पोषण और पौष्टिकीकरण वैज्ञानिक पैनलः** पैनल की 10वीं और 11वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 22.02.2019 और 10.05.2019 को हुई।

(xvi) **मसाले और पाक् जड़ी-बूटियाँ वैज्ञानिक पैनलः पैनल की तीसरी बैठक दिनांक** 11.02.2019 को हुई।

(xvii) **मिठाइयाँ, मिष्टान्न, मीठाकारक, चीनी और शहद वैज्ञानिक पैनलः पैनल की 12वीं बैठक दिनांक** 15.04.2019 को हुई।

1.3 खाद्य सामग्रियों संबंधी कुल 5 अंतिम संशोधित अधिसूचनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है और ये केंद्र सरकार द्वारा विधीक्षा तथा अनुमोदनाधीन हैं। एक नए मूल विनियम, नामतः खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य संग्रहण और वितरण) विनियम, 2019 का मसौदा और शिशु खाद्य विनियम, मसालों के सूक्ष्मजैविक मानक, प्रसंस्करण सहायक सामग्री विनियम आदि से संबंधित 12 संशोधन मसौदा अधिसूचनाएँ हितधारकों से टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भारतीय राजपत्र में प्रकाशित की गईं।

2. खाद्य परीक्षण और निगरानी

2.1 राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एन.एफ.एल.) गाज़ियाबाद में क्षमता-निर्माण के प्रयास

2.1.1 मेसर्स मर्क द्वारा सूक्ष्मजैविक विश्लेषण प्रशिक्षण (सी-मैट) केंद्र खोलना और सौंपना

मेसर्स मर्क द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई. को सूक्ष्मजैविक विश्लेषण प्रशिक्षण (सी-मैट) केंद्र सौंपा गया, जो दिनांक 30 अप्रैल, 2019 से कार्य करने लगा। यह दिनांक 12.07.2018 को मेसर्स मर्क के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अनुपालन के रूप में किया गया, जिसकी अभिपुष्टि प्राधिकरण द्वारा अपनी 27वीं बैठक में की गई थी।

2.1.2 मेसर्स थर्मोफिशर साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड द्वारा खाद्य सुरक्षा समाधान केंद्र का उद्घाटन

मेसर्स थर्मोफिशर द्वारा स्थापित खाद्य सुरक्षा समाधान केंद्र दिनांक 2 अप्रैल, 2019 से कार्य करने लगा। यह दिनांक 3.05.2018 को मेसर्सथर्मोफिशर के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के अनुपालन में किया गया, जिसकी अभिपुष्टि प्राधिकरण द्वारा अपनी 26वीं बैठक में की गई थी।

2.2 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाएँ (एन.आर.एल.)

खाद्य प्राधिकरण ने अपनी 27वीं बैठक में एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा अधिसूचित 13 प्रयोगशालाओं की एन.आर.एल. के रूप में और 2 प्रयोगशालाओं की एन.आर.एल. की आनुषंगिक सुविधाओं के रूप में मान्यता का अनुमोदन किया। तदनुसार एफ.एस.एस.ए.आई. ने दिनांक 19.03.2019 के आदेश संख्या 12013/02/2017-क्यू.ए. द्वारा 13 अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को एन.आर.एल. के रूप में स्वीकृति दी और दिनांक 27.03.2019 के पत्र संख्या- 12013/02/2017- क्यू.ए. द्वारा निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली, को उनकी दो प्रयोगशालाओं नामतः निर्यात निरीक्षण अभिकरण, चेन्नई और निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोलकाता की एन.आर.एल. की आनुषंगिक सुविधा (ए.एन.आर.एल.) के रूप में स्वीकृति की सूचना दी। सभी करारनामे, विधिक प्रभाग द्वारा विधिवत् पुनरीक्षण के बाद सभी 15 एन.आर.एल./ए.एन.आर.एल. को दिनांक 3.05.2019 को ई-मेल द्वारा भेज दिए गए हैं।

सक्षम प्राधिकरण ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रत्येक एन.आर.एल. को 25 लाख का और प्रत्येक ए.एन.आर.एल. को 10 लाख का वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया। एन.आर.एल. और ए.एन.आर.एल. दोनों के लिए अलग-अलग पुस्तिकाएँ बनाई गई हैं, जिनमें भागीदार प्रयोगशालाओं के दायित्वों और वित्तीय विवेक सहित योजना की विभिन्न

जानकारियाँ सम्मिलित हैं। इन प्रयोगशालाओं को पहली किश्त इनसे विधिवत् हस्ताक्षरित करारनामा और अर्ध-वार्षिक/वार्षिक योजना मिलने पर दी जाएगी।

2.3 खाद्य विश्लेषक परीक्षा

2.3.1 5वीं खाद्य विश्लेषक परीक्षा (एफ.ए.ई) का परिणामः

22 और 23 दिसंबर, 2018 को तीन केंद्रों नामतः एनआईएफटीईएम-कुन्डली, सीएफटीआरआई-मैसूर और आईसीटी-मुम्बई पर हुई 5वीं एफ.ए.ई. की प्रैक्टीकल परीक्षा (पेपर-III) में कुल 92 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। खाद्य विश्लेषक परीक्षा बोर्ड ने 9.01.2019 को हुई अपनी बैठक में 83 परीक्षार्थियों को योग्य खाद्य विश्लेषक घोषित किया।

2.3.2 छठी खाद्य विश्लेषक परीक्षा (एफ.ए.ई) और तीसरी कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा (जे.ए.ई.) की घोषणा

खाद्य विश्लेषक परीक्षा बोर्ड ने 12.04.2019 को हुई अपनी बैठक में डॉ. ललिता आर. गावड़ा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित एफ.ए.ई. और जे.ए.ई. के संशोधित पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया। बोर्ड ने छठी एफ.ए.ई. और तीसरी जे.ए.ई. संचालित करने की समय-सारणी भी अनुमोदित की। तदनुसार एफ.एस.एस.ए.आई. ने दिनांक 30.04.2019 को योग्य परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 मई, 2019 है।

2.4 खाद्य प्रयोगशालाओं के प्रमाणन के लिए एकीकृत निर्धारण प्रणाली

खाद्य प्राधिकरण ने अपनी 27वीं बैठक में अन्य सरकारी निकायों नामतः एनएबीएल, ईआईसी आदि के सहयोग से एक सामान्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यायित करने से पहले खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के एकीकृत आकलन के प्रस्ताव का सिद्धांत रूप में अनुमोदन किया। परीक्षण प्रयोगशालाओं का समेकित निर्धारण आरंभ हो चुका है।

2.5 आईसीडीएस और एमडीएम योजनाओं के अंतर्गत प्रोटीन और कैलोरी के परीक्षण प्रभारों का निर्धारण

प्रोटीन और कैलोरी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची 11 में पोषण-संबंधी मानकों के तौर पर विनिर्दिष्ट किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई योजना 'मध्याह्न भोजन' के अंतर्गत स्कूल स्तर के किचनों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर दिशा-निर्देशानुसार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों

को एमडीएम के नमूनों के परीक्षण हेतु सीएसआईआर की संस्थानों/एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशालाओं और एफ.एस.एस.ए.आई.-प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को सम्मिलित करने पर विचार करना चाहिए।

तदनुसार एफ.एस.एस.ए.आई. ने दिनांक 8 अप्रैल, 2019 के आदेश संख्या एफ. 15022/01/2019-क्यूए में एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं के माध्यम से 'समेकित बाल विकास सुविधाएँ' और 'मिड डे मील' परियोजना के अंतर्गत मिलने वाले भोजन में प्रोटीन और कैलोरी के परीक्षण हेतु प्रत्येक नमूने के लिए ₹ 1200/- (करों को छोड़कर) की दर तय की है।

2.6 खाद्य सुरक्षा पारितंत्र के सशक्तीकरण पर अपडेट

2.6.1 केंद्रीय क्षेत्र की योजना के क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा में बढ़ोतरी

जैसा कि प्राधिकरण की 27वीं बैठक में सूचित किया गया था, दो सालों के लिए यानी मार्च, 2021 तक "चल खाद्य प्रयोगशालाओं के उपबंध सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सशक्तीकरण" के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना की समय-सीमा में बढ़ोतरी हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन करने का सुझाव देते हुए परियोजना को केवल एक वर्ष यानी मार्च, 2020 (14वें वित्तीय आयोग के कार्यकाल की अवधि तक) तक चलाए जाने की स्वीकृति मांगने का सुझाव दिया।

2.6.2 राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण (यथा 31.10.2018 को)

उन्नयन प्रयोजनों के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ₹ 91.85 करोड़ का अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद उन्नयन के लिए दिए गए अनुदान की राशि ₹ 128.45 करोड़ से बढ़कर ₹ 220.30 करोड़ हो गई है, जिसके अंतर्गत 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 37 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ सम्मिलित हैं।

2.6.3 रेफरल प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण

3 अन्य रेफरल प्रयोगशालाओं नामतः सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ, एनआरसी-एम, हैदराबाद, पीबीटीआई, मोहाली के उन्नयन के लिए सहायता अनुदान देने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। इसके बाद, लाभान्वित रेफरल प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई और उच्च प्रौद्योगिकी के उपकरणों सहित इनके उन्नयन के लिए दिए गए अनुदान की राशि ₹ 13.09 करोड़ से बढ़कर ₹ 23.891 करोड़ रुपये हो गई।

2.7 चल खाद्य सुरक्षा

5 अन्य एफएसडब्ल्यू स्वीकृत/वितरित की गई हैं जिसके बाद 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत एफएसडब्ल्यू की संख्या 41 से बढ़कर 46 हो गई है।

2.8 क्षमता-निर्माण कार्यक्रम

एफ.एस.एस.ए.आई. ने विशेषीकृत क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया और दिसम्बर, 2018 से अप्रैल, 2019 के बीच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों/अभिकरणों के सहयोग से खाद्य विश्लेषकों और राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के अन्य वैज्ञानिक/तकनीकी कार्मिकों, एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं और अन्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर खाद्य प्रयोगशाला में स्वास्थ्य परंपराएँ (जीएफएलपी) नामक सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	राज्य	स्थान	प्रशिक्षण तारीख	अभ्यर्थी
क. प्रयोगशाला-प्रत्यायन जागरूकता कार्यक्रम				
1.	दिल्ली	एफ.एस.एस.ए.आई.(मुख्यालय), नई दिल्ली	12 मार्च, 2019	29
2.	तमिल नाडु	केंद्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	24 अप्रैल, 2019	40
			योग 'क'	**69**
ख. विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम				
I. सिंगापुर में कवकविष पर खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला				
क	----	सिंगापुर	8-10 जनवरी, 2019	10
II. गैर-एल्कोहलीय बीवरेजों की अग्रिम विश्लेषण तकनीकों का प्रायोगिक प्रशिक्षण				
क	हरियाणा	एजिलेंट टेक्नोलॉजी, मानेसर	26 फरवरी, 2019	57

क्रम सं.	राज्य	स्थान	प्रशिक्षण तारीख	अभ्यर्थी
III. मछली और मत्स्य उत्पादों में फॉर्मलडीहाइड के आकलन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम				
ग	केरल	केन्द्रीय मात्स्यिकी उत्पाद संस्थान (सीआईएफटी), कोची	22-25 अप्रैल, 2019	10
			योग 'ख'	77
ग. सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम - अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियाँ				
1.	कर्नाटक	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु	26-28 दिसम्बर, 2018	18
2.	महाराष्ट्र	गुणता आकलन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, मुम्बई	15-17 जनवरी, 2019	31
3.	राजस्थान	सीईजी परीक्षण गृह और अनुसंधान केंद्र प्रा0. लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान	28-30 जनवरी, 2019	33
4.	कोलकाता	तेल प्रयोगशाला, प्रौद्योगिकी विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय	6-8 फरवरी, 2019	40
			योग 'ग'	**122**
			कुल (क+ख+ग)	**268**

3. शासन और प्रशासन

3.1 भर्तियों की स्थिति

3.1.1 सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। 824 स्वीकृत पदों में से पहले चरण में 415 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है, जिनमें से 301 पद सीधी भर्ती के लिए और 114 पद प्रतिनियुक्ति के लिए हैं। विज्ञापन के बाद लगभग 1.6 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश आवेदन

तकनीकी अधिकारी, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सहायक और कनिष्ठ सहायक स्तरों के लिए हैं।

3.1.2 वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर 2 कार्यकारी निदेशकों) और 1 सलाहकार और निदेशक (7 प्रतिनियुक्ति पर और 4 सीधी भर्ती द्वारा) के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु आगे की कार्रवाई जारी है।

4. खाद्य आयात

4.1 उपापचय के जन्मजात दोषों और अल्प एलर्जीकारी स्थितियों के लिए विशिष्ट खाद्यों के आयात के संबंध में निर्देश - उपापचय के जन्मजात दोषों और अल्प एलर्जीकारी स्थितियों के लिए विशिष्ट खाद्यों के आयात के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दिनांक 2 मई, 2019 को निर्देश जारी किया गया। यह निर्देश दिनांक 01.11.2018 के पूर्व निर्देश के अनुक्रम में जारी किया गया, जिस द्वारा दिनांक 02.05.2019 से एक वर्ष या जब तक मानक अधिसूचित हों, जो भी पहले हो, तक आगे भी विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य (यानी उपापचय के 15 जन्मजात दोषों और दो अल्प एलर्जीकारी स्थितियों के लिए खाद्य) के आयात की अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त बेहतर नियंत्रण के लिए यह अनुमति केवल दिल्ली और मुम्बई बंदरगाहों से आयात हेतु ही दी गई थी।

5. सामाजिक व्यवहारगत परिवर्तन

आईईसी गतिविधियाँ

5.1 भारत में खाद्य और पोषण के पेशेवरों का नेटवर्क (नेटप्रोफैन)

नेटप्रोफैन का खाद्य, पोषण और जन-स्वास्थ्य के क्षेत्रों में उन पेशेवर निकायों और विशषज्ञों के एक संगठन के रूप में विकास किया गया है जो खाद्य सुरक्षा और पोषण के स्तर को सुधारने के राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने के लिए एकजुट हुए हैं। नेटप्रोफैन को "ईट राइट इंडिया" अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न पेशेवर संगठनों (भारतीय पोषण संघ, इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स एन्ड साइंटिस्ट्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ क्युलिनरी एसोसिएशन्स, एसोसिएशन ऑफ कम्यूनिटीज – फूड एनालिसिस) के नेटवर्क द्वारा उत्साहपूर्वक अंगीकृत किया गया है। इस नेटवर्क की परिकल्पना स्व-स्थायी मॉडल के रूप में की गई है, जो चरणबद्ध तरीके से स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान के लिए गतिविधियों के अंगीकरण और कार्यान्वयन हेतु राष्ट्र,

राज्य व शहर स्तरों पर क्रियाशील है। नेटप्रोफैन की शुरुआत नई दिल्ली में दिनांक 22 और 23 मार्च, 2019 को आयोजित दो-दिवसीय कार्यशाला में की गई थी।

वर्तमान स्थिति

- सभी 6 संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय समिति बनाई गई।
- रोल-आउट के लिए 17 राज्य पहचाने गए।
- 10 राज्यों के प्रखंड बनाए गए, जिनमें से 5 (कर्नाटक, केरल, मुम्बई, गुजरात और उत्तर प्रदेश) ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है।
- राज्यों में जमीनी स्तर की गतिविधियाँ (उदाहरणार्थ वेबिनार, राज्य प्रखंडों की की शुरुआत, व्याख्यान, मीडिया में लेख) आरंभ की गईं।
- एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा श्रेष्ठ राज्य प्रखंडों और अलग-अलग पेशेवरों को हर वर्ष मान्यता दी जाएगी।
- एक अलग वेबपेज बनाया गया।

5.2 स्वच्छ स्ट्रीट-फूड केंद्र

स्ट्रीट फूड की बिक्री, जो अत्यन्त अस्त-व्यस्त और असंगठित होती है, भारत के संपूर्ण खाद्य पारितंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देश-भर में मौजूदा और आगामी फूड-स्ट्रीटों के उन्नयन के लिए और सुरक्षित तथा स्वच्छ स्थानीय भोजन का जायका लेने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. ने राज्य-सरकारी निकायों की सहायता से पूरे देश में फूड-स्ट्रीटों की मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं। एफ.एस.एस.ए.आई. उन खाद्य केंद्रों को विधिवत् मान्यता देगा और उनका प्रमाणन करेगा जो इन मानकों और मानदंडों का अनुपालन करेंगे। इस ब्रांडिंग व प्रमाणन से स्ट्रीट फूड में उपभोक्ता का विश्वास बढ़ाने में सहायता मिलेगी। कार्यान्वयन में भागीदारों की सहायता के लिए एक मार्गदर्शी प्रलेख और ब्रोशर तैयार किए गए।

अब तक देश भर में 8 स्ट्रीटों को स्वच्छ स्ट्रीट फूड केंद्र के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें से 5 गुजरात में, एक मध्य प्रदेश में और दो महाराष्ट्र में हैं। साथ ही ऐसी घोषणा के लिए 13 राज्यों के 75 स्थानों की सिफारिश भी की गई है।

5.3 स्वच्छ भारत यात्रा

"स्वच्छ भारत यात्रा" 16 अक्टूबर, 2018 (विश्व खाद्य दिवस) को विभिन्न शहरों से 6 मार्गों से आरंभ हई और लगभग सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करते हुए, नई दिल्ली में 29 जनवरी, 2019 को समाप्त हुई। इस बड़े अवसर पर स्वच्छ

भारत यात्रा के सहयोग में कंपनियों ने दान दिया। स्वच्छ भारत यात्रा के लिए जमा कंपनियों से प्राप्त प्रायोजित राशि अलग बैंक खाते में स्वच्छ भारत यात्रा से जुड़े खर्चों के भुगतान के लिए प्रयुक्त की जा रही है।

6. वैश्विक संपर्क

6.1 कोडैक्स की बैठक में भागीदारी

फरवरी, 2019 में खाद्य प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद भारत ने वसाओं और तेलों, सामान्य सिद्धांतों, खाद्य सहयोज्य, कीटनाशक अवशिष्ट, खाद्य संदूषक और खाद्य लेबलिंग से संबंधित 6 कोडैक्स समितियों में भाग लिया। उपर्युक्त बैठकों में समिति की सहमति से बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि निम्नलिखित हैः

(i) खाद्य लेबलिंग पर कोडैक्स समिति ने कहा कि भारत की अगुआई में गैर-खुदरा धारकों संबंधी कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई है और संशोधन के प्रस्तावित मसौदे को सीएसी42 में चरण-5 पर अंगीकरण के लिए अग्रेषित करने पर सहमति जताई।

6.2 कोडैक्स संबंधी क्षमता-निर्माण कार्यशालाः

(i) सीसीएशिया क्षेत्र के लिए मसौदा कोडैक्स कार्यनीति 2020-2025 पर कार्यशाला

कोडैक्स सचिवालय ने चाइना नैशनल सेन्टर फॉर फूड सेफ्टी रिस्क असेस्मेन्ट और एफ.एस.एस.ए.आई. के सहयोग से 1-2 नवम्बर 2018 को बीजिंग, चीन में सीसीएशिया क्षेत्र के कोडैक्स सदस्य देशों के साथ मसौदा कोडैक्स कार्यनीति 2020-2025 पर चर्चा करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। भारत ने क्षेत्रीय संयोजक के तौर पर कार्यशाला की अध्यक्षता की।

(ii) खाद्य सुरक्षा और श्रीलंका के कोडैक्स संपर्क बिंदु में सहयोजित श्रीलंका के हितधारकों का प्रशिक्षण (कोलम्बो, श्री लंका में 25 से 28 फरवरी, 2019)

खाद्य सुरक्षा और श्रीलंका के कोडैक्स संपर्क बिंदु में सहयोजित श्रीलंका के हितधारकों के लिए एक कार्यशाला और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य भागीदारों, विशेषतः सरकारी कर्मचारियों, को कोडैक्स प्रक्रियाओं, एसपीएस करार और खाद्य विनियमों की समग्र जानकारी कराना था। यह प्रशिक्षण विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता सहित भारतीय कोडैक्स संपर्क बिंदु (एफ.एस.एस.ए.आई.) के अधिकारियों द्वारा दिया गया।

6.3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

एफ.एस.एस.ए.आई., निर्यात निरीक्षण परिषद् और नीदरलैंड्स फूड एन्ड कन्ज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी अथॉरिटी के बीच भारत/नीदरलैंड्स में मार्च, 2019 में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

6.4 भारतीय प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा

6.4.1 एफ.एस.एस.ए.आई के अध्यक्ष ने 6 से 7 फरवरी, 2019 को पेरिस, फ्रांस में हुई पोषण लेबलिंग पर ग्लोबल एक्शन नेटवर्क की शुरुआती बैठक में एफ.एस.एस.ए.आई. का प्रतिनिधित्व किया। एक्शन नेटवर्क पोषण पर यूएन कार्रवाई दशक 2016-2025 के संबंधी आगामी कार्रवाई के रूप में है। एक्शन नेटवर्क का उद्देश्य ऐसे देशों का संघ बनाना है, जो पोषण लेबलिंग के लिए अधिक प्रयास करने और उसके कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं।

6.4.2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई. के नेतृत्व में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 14 फरवरी, 2019 को अदीस अबाबा, इथोपिया में हुए खाद्य सुरक्षा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन/खाद्य और कृषि संगठन के पहले विश्व सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन से विश्व भर के कई खाद्य नियामकों से जुड़ने में सहायता मिली। गाम्बिया, ज़ाम्बिया और इथोपिया आदि अफ्रीकी देश एफ.एस.एस.ए.आई. के खाद्य सुरक्षा मॉडल, इसकी हाल की क्षमता-निर्माण और जागरूकता जैसी पहलों से प्रभावित हुए और उन्होंने इन विषयों पर अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि दिखाई।

6.4.3 इस संबंध में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण हेतु एफ.एस.एस.ए.आई और अफ्रीकी देशों के बीच सहभागिता और साथ ही 'अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा' पर संकल्पना नोट के साथ एक प्रस्ताव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पारित कराकर विदेश मंत्रालय को सहमति और सहयोग के लिए भेजा गया है।

6.5 भारत में अफगान और नेपाल के प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

6.5.1 खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणता नियंत्रण विभाग, नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल 25 से 29 मार्च, 2019 को हुई परामर्श बैठक-सह-परिचय दौरे के लिए एफ.एस.एस.ए.आई, नई दिल्ली पहुँचा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डीएफटीक्यूसी के महानिदेशक श्री संजीव कुमार कर्ण ने किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य एफ.एस.एस.ए.आई के कार्य और संरचनागत प्रबंध, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के कार्यान्वयन और राज्यों में फील्ड दौरे के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और गुणता नियंत्रण के तरीके को समझने के लिए प्रतिनिधिमंडल की सहायता करना था।

6.5.2 अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध पर 28 जनवरी से 8 फरवरी, 2019 तक भारत में अफगानिस्तान के खाद्य सुरक्षा कार्मिकों के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरे का समन्वयन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जेनेवा द्वारा और वित्त-पोषण यूरोपीय संघ द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चंडीगढ़ के राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यालय का दौरा, कोचीन में आयात बंदरगाहों, दिल्ली की प्रयोगशालाओं और नासिक में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का फील्ड दौरा शामिल था, जिनसे प्रतिनिधिमंडल को खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली।

6.6 अन्य

6.6.1 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाली चीन से दूध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक के मुद्दे पर दिनांक 5 अप्रैल, 2019 को भारत सरकार के संबद्ध विभागों/मंत्रालयों के साथ एफ.एस.एस.ए.आई. में आयोजित एक बैठक में पुनरीक्षण किया गया। चर्चा के आधार पर यह सुझाव दिया गया कि चीन से चॉकलेट और चॉकलेट उत्पादों और कैन्डीज/मिठाइयों/दूध से बने व्यंजनों और संघटक के रूप में दूध के ठोस पदार्थों सहित दूध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक तब तक बढ़ा दी जाए जब तक भारत में प्रवेश के सभी बंदरगाहों पर स्थित प्रयोगशालाओं में मेलामाइन के परीक्षण की क्षमता का उपयुक्त उन्नयन नहीं किया जाता।

7. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

7.1 फोस्टैक प्रगतिः

फोस्टैक खाद्य कारोबारियों के लिए सतत वर्धमान बड़े स्तर का प्रशिक्षण पारितंत्र है, जिसके तहत अब तक 1.3 लाख से अधिक खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। 160 प्रशिक्षण सहभागियों ने कुल 19 पाठ्यक्रमों के माध्यम से 5000 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया। खाद्य स्टार्ट-अप और जैविक खाद्य कारबारों हेतु वरिष्ठ/मध्य स्तर के प्रबंधन के लिए फोस्टैक प्लस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

फोस्टैक के अंतर्गत चालू विशेष अभियान निम्नानुसार हैं:

1. मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली राज्यों के एफडीए ने सभी खाद्य कारबारों का 100 प्रतिशत प्रशिक्षण पूरा करने का अभियान चलाया है।

2. सभी विश्वविद्यालयों और कंपनियों की कैन्टीनों के कार्मिकों के प्रशिक्षण की एक विशेष परियोजना बनई गई है। अब तक 12 कंपनियों और 35 कॉलेजों की कैन्टीनों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

3. स्वच्छ और सुरक्षित मांस पहल के अंतर्गत कुक्कुट और कुक्कुट-मांस से संबंधित 12 प्रशिक्षण और पशु-मांस से संबंधित 4 प्रशिक्षण पूरे किए जा चुके हैं और स्वच्छ और सुरक्षित दूध पहल के अंतर्गत 209 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं।

7.2 नियामक कर्मचारियों का प्रशिक्षण

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए दो भिन्न राज्यों, नामतः पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ में परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए, जिनमें फरवरी 2019 के बाद से 93 अधिकारियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ।